ए.

आनंद रामचंद्र चोगल

बनाम

सिदाराई लक्ष्मण चौगला और अन्य (2010 की आपराधिक अपील संख्या 1006)

बी.

अगस्त 06,2019

**[**अशोक भूषण और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:

यू/एस से दोषसिद्धि में परिवर्तन।302/34 से एस।304 भाग I/34-पक्षों के बीच हाथापाई के बाद एक मौखिक द्वंद्व हुआ-अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, जिससे एक हत्या भी हुई-निचली न्यायालय ने सभी चार अभियुक्तों को आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने माना कि हमला बिना किसी पूर्व-विचार के पल भर में किया गया था और दोनों पक्षों को चोटें आई थीं और दोषसिद्धि में बदलाव किया गया था। 304 भाग I-दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया क्योंकि उनकी उपस्थिति संदिग्ध पाई गई थी-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:पक्ष एक-दूसरे से संबंधित थे और उनके बीच भूमि विवाद था-मौखिक द्वंद्व के बाद हाथापाई दो अदालतों द्वारा तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है-अभियुक्त व्यक्तियों ने भी उसी घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसकी जांच नहीं की गई थी-पुलिस यह समझाने में विफल रही कि उक्त प्राथमिकी की जांच क्यों नहीं की गई थी-इसके अलावा, अभियुक्तों को उसी घटना में लगी चोटों के संबंध में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चोट की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी-अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को दबा दिया गया था, जो पर्याप्त संदेह पैदा करता है और अभियोजन पक्ष उसी का जवाब देने में असमर्थ था-संदेह का लाभ तब तक मिलना चाहिए जब तक कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम न हो-उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

जी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर**,** पक्षों के बीच संबंध और एक भूमि विवाद का अस्तित्व जिसके बारे में एक दीवानी मुकदमा भी लंबित था**,** निर्विवाद तथ्य हैं।यह तथ्य कि एक मौखिक द्वंद्वयुद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई**,** जो चोटों में बदल गई**,** तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है।

एच.

14 ए.

15

आनंद रामचंद्र चोगुल बनाम.

सिदाराई लक्ष्मण चौगला और अन्य ए

दो अदालतों द्वारा।यह तथ्य कि अभियुक्त ने भी इसी घटना के संबंध में एफ**.** आई**.** आर**.** दर्ज किया था**,** पीडब्लू के साक्ष्य से स्थापित होता है। **19** और **22,** जाँच अधिकारी**,** जिन्होंने स्वीकार किया है कि उत्तरदाता**-**अभियुक्तों ने भी बी**.** आर**.** पी**.** एस**.** दर्ज किया था**,** जिसकी उनके द्वारा जाँच नहीं की गई थी।इसी तरह**,** पुलिस कांस्टेबल अभि**.** साक्षी **11** ने बयान दिया कि दो अभियुक्तों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह निगरानी ड्यूटी पर तैनात था।घटना **07.06.2002** और उत्तरदाता**-**अभियुक्त एन**.** ओ**.** एस**.** की है। **1** और **2** को **11.06.2002** पर छुट्टी दे दी गई।अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है और उस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।**[**पैरा **8] [19-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

**2.** सभी उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।इसके विपरीत**,** अभियुक्त को केवल अभियोजन मामले और उसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है।अभियोजन पक्ष के विपरीत**,** एक अभियुक्त को अपने बचाव को सभी उचित संदेह से परे स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है।यदि अभियुक्त बचाव करता है**,** जो असंभव नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के बचाव के समर्थन में सामग्री है**,** तो

अभियुक्त को आगे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है।संदेह का लाभ तब तक मिलना चाहिए जब तक कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम न हो।**[**पैरा **9] [19-**डी**-**ई**]**

डी.

ई.

**3.** यह तथ्य कि धारा **313, Cr.P.C** के तहत किसी अभियुक्त द्वारा बचाव नहीं किया गया हो सकता है**,** अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने से दोषमुक्त नहीं कर सकता है।यदि ऐसी सामग्री है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ है**,** तो लिए गए बचाव में कमजोरी अभियोजन पक्ष की यह दावा करने की ताकत नहीं बन सकती है कि परिस्थितियों में कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी।**[**पैरा **10] [19-**एफ**]**

एफ.

**4.** यह तथ्य कि उसी घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा एफ**.** आई**.** आर**.** दर्ज किया गया था**,** यह समझाने में पुलिस की विफलता कि इसकी जांच क्यों नहीं की गई**,** इस स्वीकार किए गए तथ्य के साथ कि अभियुक्तों को भी उसी घटना में लगी चोटों के संबंध में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था**,** लेकिन चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया था**,** पर्याप्त संदेह पैदा करता है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ रहा है।**[**पैरा **11] [20-**ए**-**बी**]**

जी.

एच.



सुनील कुंडू बनाम झारखंड राज्य**, (2013) 4** एससीसी

**422 :[2013] 5** एस**.** सी**.** आर**. 924-**पर निर्भर।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम फकीरे **(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 605;** पुलिचेरला नागराजू बनाम ए**.** पी**.** राज्य**, (2006) 11** एस**.** सी**.** सी**.**

444 :[2006] 4 पूरक।एस. सी. आर. 633; राजस्थान राज्य।

बी.

सचिव बनाम कन्हैया लाल, (2019) 5 एस. सी. सी. 639; विजय रामकृष्ण गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा, (2012) 11 एस. सी. सी. 592; राज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र, (2009) 15 एससीसी 292:[2009] 11 एससीआर 49;

दयाल सिंह और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य**, (2012)**

8 एससीसी 263:[2012] 10 एस. सी. आर. 157; गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य, (2012) 9 एस. सी. सी. 532:[2012] 7 एससीआर 1033;

सी.

मनोज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **(2018) 7**

एससीसी **327:[2018] 5** एस**.** सी**.** आर**. 361;** प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (1976) 2** एस**.** सी**.** सी**. 798:[1976] 1** एस**.** सी**.** आर**. 757-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

डी.

**(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 605**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

**[2006] 4** पूरक।एससीआर **633**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

**(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 239**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

ई.

**(2012) 11** एस**.** सी**.** सी**. 592**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

**[2009] 11** एससीआर **49**

**[2012] 10** एससीआर **157**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

एफ.

**[2012] 7** एससीआर **1033**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

**[2018] 5** एससीआर **361**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

**[2013] 5** एस**.** सी**.** आर **924**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा**10**

**[1976] 1** एससीआर **757**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 1006।

आपराधिक अपील सं. 22/2005 A में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 30.11.2007 के निर्णय और आदेश से।

एच.

17

आनंद रामचंद्र चोगुल बनाम.

सिदाराई लक्ष्मण चौगला और अन्य ए

के साथ

2010 की आपराधिक अपील संख्या 1007।

जोसेफ अरिस्टोटल एस., श्रीमती प्रिया अरिस्टोटल, रिजुक सरकार, श्रीमती फराह हाशमी, शांतकुमार महाले, राजेश महाले, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।अनिल वी. कटारकी, अनिल सी. निशानी, मदन कानूर, सुश्री ई. आर. सुमती, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा**,** जे।

1. वर्तमान दो अपीलों को क्रमशः शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा प्राथमिकता दी गई है।चुनौती उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए है, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं की संख्या।3 और 4 को बरी कर दिया गया है, और उत्तरदाताओं की दोषसिद्धि संख्या।1 और 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) की धारा <आई. डी. 1 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है और धारा 304 भाग I/34 के तहत उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है।

सी.

डी.

2. शिकायतकर्ता और आरोपी एक-दूसरे के रिश्तेदार हैं।उनके बीच भूमि विवाद था।कहा जाता है कि एक दीवानी मुकदमा भी लंबित है।07.06.2002 पर मृतक अन्य लोगों के साथ अपने गाँव लौट रहे थे।जब वे येलप्पा पाटिल के घर के पास पहुंचे, तो आरोपी व्यक्तियों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने उन पर हमला किया जिससे उनकी हत्या कर दी गई।निचली विचारण न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री से अपील में निष्कर्ष निकाला कि हमला बिना किसी पूर्व-चिंतन के पल भर में किया गया था और दोनों पक्षों को चोट लगने के कारण आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दोषसिद्धि में बदलाव किया जाना चाहिए। दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया क्योंकि उनकी उपस्थिति संदिग्ध पाई गई थी।

ई.

एफ.

3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दोषसिद्धि को एक में बदलने में गलती की। हमला पूर्व नियोजित था। अभियुक्त कुल्हाड़ी, कोइता और बांस की छड़ों से लैस थे।पीडब्लूएस। 2 और 3 घायल गवाह थे।आत्मरक्षा के अनुरोध के समर्थन में कोई सामग्री नहीं थी या यह कि हमला पल भर में हुआ था।अभियुक्त द्वारा धारा 313, Cr.P.C के तहत ऐसा कोई बचाव नहीं किया गया था। पीडब्लूएस। 4 और 5 भी चश्मदीद गवाह थे।अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में मामूली विरोधाभास और विसंगतियां अभियोजन पक्ष पर संदेह करने के लिए अपर्याप्त थीं।

जी.

मामला।उत्तर प्रदेश राज्य बनाम फकीरे, (2019) 5 एस. सी. सी.

605, यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बहाल किया जाना चाहिए।

एच.

18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 11 एस सी आर।

**4.** रिलायंस को पुलिचेरला नागराजू बनाम राज्य पर भी रखा गया था।

ए**.** पी**., (2006) 11** एस**.** सी**.** सी**. 444,** और राजस्थान राज्य थ**.**सचिव

बनाम कन्हैया लाल, (2019) 5 एस. सी. सी. 639, इस दलील के समर्थन में कि सिर पर एक भी हमला मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, अचानक झगड़े में उकसावे के बिना या आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराता है।

रिलायंस को आगे विजय रामकृष्ण गायकवाड़ बनाम राज्य पर रखा गया।

बी.

महाराष्ट्र और एक अन्य, (2012) 11 एस. सी. सी. 592, ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि भले ही इस न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखना था, सजा को बढ़ाकर दस साल किया जाना चाहिए।

5. राज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भरोसा करते हुए, (2009) 15

एस. सी. सी. 292, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि अभियुक्त ने आत्मरक्षा की याचिका दायर की है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 के तहत यह प्रदर्शित करने का

बोझ उन पर था कि उनका मामला आई. पी. सी. के तहत किसी भी सामान्य अपवाद के तहत आएगा।

सी.

6. यदि उसी घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा या अभियुक्त के अस्पताल में भर्ती होने और चोट की रिपोर्ट के संबंध में साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित नहीं की गई थी

डी.

दयाल सिंह और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 263 और गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य,

(2012) 9 एस. सी. सी. 532 में यह प्रस्तुत किया गया था कि यह दोषपूर्ण जांच का मामला हो सकता है जो एक सामान्य इरादे के साथ पूर्व-मध्यस्थ जानलेवा हमले के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं कर सकता है।

ई.

7. प्रतिवादियों-अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कोई पूर्वनियोजित हमला नहीं था।दोनों पक्षों के संबंध होने के कारण, और उनके बीच भूमि विवाद के अस्तित्व के कारण, जब वे येलप्पा पाटिल के घर के पास मिले तो एक मौखिक द्वंद्व हुआ जिसके बाद हाथापाई हुई जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं।प्रत्यर्थियों द्वारा दर्ज एफ. आई. आर., उपचार के लिए अस्पताल में उनका प्रवेश और चोट की रिपोर्ट सभी को अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया है। यह तथ्य कि बचाव पक्ष को धारा 313, Cr.P.C के तहत नहीं लिया गया था, अप्रासंगिक था क्योंकि अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित करना था।

एफ.

जी.

रिलायंस को मनोज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य पर रखा गया था।

(2018) 7 एस. सी. सी. 327, यह प्रस्तुत करने के लिए कि हमला करने की पूर्व नियोजित योजना के अभाव में, पक्षों के बीच लंबित भूमि के संबंध में नागरिक विवाद की पृष्ठभूमि में अचानक झगड़ा, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है।

एच.



आनंद रामचंद्र चोगुल बनाम.

सिदाराई लक्ष्मण चौगला [नवीन सिन्हा, जे।] ए.

ए.

8. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। पक्षों के बीच संबंध और एक भूमि विवाद का अस्तित्व जिसके बारे में एक दीवानी मुकदमा भी लंबित था, निर्विवाद तथ्य हैं।यह तथ्य कि एक मौखिक द्वंद्व के बाद पक्षों के बीच हाथापाई हुई थी, जो चोटों में परिणत हुई, दो अदालतों द्वारा तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है।यह तथ्य कि अभियुक्त ने भी इसी घटना के संबंध में एफ. आई. आर. दर्ज किया था, पीडब्लू के साक्ष्य से स्थापित होता है। 19 और 22, जांच अधिकारी, जिन्होंने स्वीकार किया है कि प्रतिवादियों-अभियुक्तों ने भी बी. आर. पी. एस. सी. आर. दर्ज किया था। No.79/02-चिह्नित प्रदर्शनी डी-10, जिसकी उनके द्वारा जांच नहीं की गई थी।इसी तरह, पुलिस कांस्टेबल अभि. साक्षी 11 ने बयान दिया कि दो अभियुक्तों को जिला अस्पताल, बेलगाम में भर्ती कराया गया था और वह निगरानी ड्यूटी पर तैनात था।घटना 07.06.2002 और उत्तरदाता-अभियुक्त एन. ओ. एस. की है। 1 और 2 को 11.06.2002 पर छुट्टी दे दी गई।अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है और उस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

बी.

सी.

9. सभी उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।इसके विपरीत, अभियुक्त को केवल अभियोजन मामले और उसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है।अभियोजन पक्ष के विपरीत, एक अभियुक्त को अपने बचाव को सभी उचित संदेह से परे स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है।यदि अभियुक्त बचाव करता है, जो असंभव नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के बचाव के समर्थन में सामग्री है, तो अभियुक्त को आगे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है।संदेह का लाभ तब तक मिलना चाहिए जब तक कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम न हो।10. यह तथ्य कि धारा 313, Cr.P.C के तहत किसी अभियुक्त द्वारा बचाव नहीं किया गया हो सकता है, अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने से दोषमुक्त नहीं कर सकता है।यदि ऐसी सामग्री है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ है, तो लिए गए बचाव में कमजोरी अभियोजन पक्ष की यह दावा करने की ताकत नहीं बन सकती है कि परिस्थितियों में कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी।सुनील कुंडू बनाम झारखंड राज्य, (2013) 4 एस. सी. सी. 422 में, इस न्यायालय ने कहाः

डी.

ई.

एफ.

जी.

“28...जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव को संभव नहीं कर पाए हैं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए।यह अभियुक्त के मामले की कमजोरी से समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता है, अगर उसने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है।”

एच.



11. यह तथ्य कि उसी घटना के संबंध में अभियुक्त द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था, यह समझाने में पुलिस की विफलता कि इसकी जांच क्यों नहीं की गई, इस स्वीकार किए गए तथ्य के साथ कि अभियुक्तों को भी उसी घटना में लगी चोटों के संबंध में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया था, पर्याप्त संदेह पैदा करता है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ रहा है।

बी.

12. हम अपीलार्थियों की ओर से इस निवेदन से सहमत होना मुश्किल पाते हैं कि अभियुक्त द्वारा उसी घटना के संबंध में दर्ज एफ. आई. आर. की जांच करने या अपनी चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने में अभियोजन पक्ष की विफलता केवल एक दोषपूर्ण जांच थी।हमारी सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष की निष्पक्ष रूप से कार्य करने और घटना के संबंध में सभी प्रासंगिक सामग्रियों को न्यायालय के समक्ष रखने में विफलता ने उन्हें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम बनाया है, जिससे उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।एक निष्पक्ष आपराधिक मुकदमे में मुकदमे से पहले के चरण में एक निष्पक्ष जांच शामिल होती है, एक निष्पक्ष सुनवाई जहां अभियोजन पक्ष न्यायालय से कुछ भी नहीं छिपाता है और न्याय के व्यापक हित में न्यायालय द्वारा न्यायपूर्ण और उचित निर्णय की सुविधा के लिए निष्पक्ष रूप से कानून के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है।दयाल सिंह (ऊपर) में टिप्पणियाँ इस प्रकार प्रासंगिक हैं:

सी.

डी.

ई.

“22. वर्तमान मामला भी गैरजिम्मेदाराना जाँच का एक स्पष्ट उदाहरण है।वास्तव में, यह जांच को गलत दिशा देने के साथ-साथ न्यायालय से भौतिक साक्ष्य को रोकने के लिए जानबूझकर शरारत की गंध करता है।इसे प्रामाणिक या अनजाने में चूक या कमीशन का मामला नहीं माना जा सकता है।यह दोषपूर्ण जाँच सरलीकरण का मामला नहीं है, बल्कि प्रेरणा से भरी जाँच है या यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि संदिग्ध बच सकता है।

एफ.

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 के तहत बचाव पक्ष पर सबूत के बोझ के संबंध में विवाद का सबसे अच्छा जवाब प्रताप बनाम द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य, (1976) 2 एस. सी. सी. 798, निम्नानुसार अवलोकन करता हैः

जी.

“14. हमने नीचे दी अवर न्यायालयों  के फैसलों की सावधानीपूर्वक जांच की है।हमारी राय में, आत्मरक्षा के अनुरोध के संबंध में उनका निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है।ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ए की स्थापना के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत एक आरोपी पर पड़ने वाले बोझ की प्रकृति के बीच अंतर की अनदेखी की है।

एच.

21

आनंद रामचंद्र चोगुल बनाम.

सिदाराई लक्ष्मण चौगला [नवीन सिन्हा, जे।]

आत्मरक्षा की याचिका और धारा 101 द्वारा अभियोजन पक्ष पर अपना मामला साबित करने के लिए डाली गई याचिका।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियुक्त पर बोझ उतना भारी नहीं है जितना कि अभियोजन पक्ष पर है।जबकि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को एक उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता होती है, अभियुक्त केवल संभावना की प्रधानता स्थापित करके अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है।”

बी.

14. दयाल सिंह (उपरोक्त) अपने स्वयं के तथ्यों पर अलग है क्योंकि यह जाँच में विफलता के अलावा मुकदमे के दौरान अभियुक्त के संबंध में सामग्री के दमन से संबंधित नहीं था।एक दोषपूर्ण जांच किसी भी जांच से पूरी तरह से अलग होगी और उसी घटना के संबंध में किसी अन्य एफ. आई. आर. से उत्पन्न चोट रिपोर्ट को दबाया जाएगा।

सी.

15. गाजू (सुप्रा) को इसके तथ्यों पर भी अलग किया जा सकता है क्योंकि यह केवल सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट प्राप्त करने में विफलता से संबंधित है।

16. हम अभियुक्तों को बरी करने में भी दोष नहीं पा सकते हैं।3 और 4 उच्च न्यायालय द्वारा पी. डब्ल्यू. 5 बनाम पी. डब्ल्यू. के साक्ष्य पर विचार करने के बाद उन्हें संदेह का लाभ देना। 2 और 3. 17.इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

डी.

ई.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एफ.

जी.

एच.